मेन्स मास्टर

अदानी हिंडनबर्ग फैसले को डिकोड करना

संदर्भ

बंदरगाहों, बिजली उत्पादन, हवाई अड्डों और कई अन्य क्षेत्रों में भारत के व्यापार परिदृश्य में एक प्रमुख व्यक्ति गौतम अदानी के नेतृत्व वाले अदानी समूह को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद जांच का सामना करना पड़ा, जो एक वित्तीय अनुसंधान फर्म है जो कॉर्पोरेट गलत कामों को उजागर करने के लिए जानी जाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी पर टैक्स हेवेन का अनुचित तरीके से उपयोग करने का आरोप लगाया गया और कंपनी के उच्च ऋण स्तर के बारे में चिंता जताई गई। जवाब में, अडानी ने रिपोर्ट के दावों को निराधार और अप्रमाणित अटकलों के रूप में खारिज कर दिया।

हिंडनबर्ग के आरोपों का परिणाम महत्वपूर्ण था, जिसके कारण अडानी की सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियों में $150 बिलियन की भारी बिकवाली हुई। बाद में सुधार के बावजूद, रिपोर्ट जारी होने से पहले अडानी के शेयर अपने स्तर से लगभग $47 बिलियन नीचे हैं। समूह ने निवेशकों का विश्वास बहाल करने के लिए उपाय किए, जिसमें अबू धाबी समूह इंटरनेशनल होल्डिंग (IHC.AD) और निवेश फर्म GQG जैसे नए निवेशकों का स्वागत करना शामिल है, जिससे स्थिति को स्थिर करने में मदद मिली।

इस बीच, भारत के बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने हिंडनबर्ग के दावों के बाद अदानी समूह की जांच की। जांच सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आ गई. हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने जांच को अन्य एजेंसियों को स्थानांतरित करने के खिलाफ फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि प्रस्तुत तथ्य इस तरह के कदम की आवश्यकता नहीं है। शीर्ष अदालत ने सेबी को निर्धारित तीन महीने की अवधि के भीतर अडानी समूह में अपनी जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में महत्वपूर्ण खामियां हैं जो अडानी समूह में चल रही जांच को प्रभावित कर सकती हैं और न्याय की उचित खोज को रोक सकती हैं।

प्रमुख बिंदु:

• **जांच की कमी:** अदालत ने 22 पूर्ण रिपोर्टों के निष्कर्षों की जांच किए बिना जांच पर सेबी की स्थिति रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जो गोपनीय रहती हैं। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंताएं पैदा होती हैं।

• **रुकी हुई जांच:** प्रमोटर समूह की नियामक सीमा से अधिक हिस्सेदारी (संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के माध्यम से) की जांच इसके बावजूद अनिर्णीत बनी हुई है। 2020 में शुरू किया जा रहा है। सेबी ने विदेशी न्यायालयों से जानकारी की कमी को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन अदालत ने इस "मुर्गी-और-अंडे" की स्थिति को हल करने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया।

• **नजरअंदाज किए गए उल्लंघन:** अदालत ने सेबी के नियामक संशोधनों को उजागर करने वाले तर्कों को खारिज कर दिया, जिन्होंने प्रकटीकरण आवश्यकताओं को कमजोर कर दिया और विदेशी संस्थाओं के अंतिम लाभकारी स्वामित्व को छिपाने की सुविधा प्रदान की। इन संशोधनों को कानूनी आदेशों के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।

• **भ्रामक दावे:** सेबी के हलफनामे में तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और पीएमएल नियमों के तहत लाभकारी स्वामित्व सीमा को कम करने जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को दबाने का आरोप लगाया गया है, जिससे जांच में मदद मिल सकती थी।

• **व्हिसिल-ब्लोअर्स को निशाना बनाना:** शॉर्ट-सेलिंग के लिए हिंडनबर्ग के खिलाफ सेबी की जांच और ओसीसीआरपी के जांच निष्कर्षों को महज "आरोप" के रूप में खारिज करने को उनकी रिपोर्ट के सार पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय व्हिसल-ब्लोअर को चुप कराने के प्रयासों के रूप में देखा जाता है।

समग्र चिंताएँ:

• यह निर्णय सेबी की जांच की न्यायिक निगरानी को सीमित करता है, संभावित रूप से पक्षपातपूर्ण या अपूर्ण निष्कर्ष की अनुमति देता है।

• जांच निष्कर्षों की सार्वजनिक जांच के बिना सेबी की स्व-रिपोर्ट की गई प्रगति पर निर्भरता पारदर्शिता और संभावित कवर-अप के बारे में चिंता पैदा करती है।

• हिंडनबर्ग और ओसीसीआरपी जैसे मुखबिरों को निशाना बनाने से संभावित कॉर्पोरेट गलत कामों को उजागर करने वालों को हतोत्साहित करने वाला संदेश जाता है।

सेबी को बचाना

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्टॉक हेरफेर सहित अदानी समूह के खिलाफ दुर्भावना के आरोपों की आगे की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाया है।

न्यायालय का निर्णय:

• **एक अलग जांच के अनुरोध को खारिज कर दिया गया:** न्यायालय सेबी की चल रही जांच पर भरोसा करता है और उनके दृष्टिकोण में कोई "जानबूझकर निष्क्रियता या अपर्याप्तता" नहीं देखता है।

• **सेबी को शेष जांच को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया:** विदेशी नियामक इनपुट के कारण दो जांच लंबित हैं, और न्यायालय ने उन्हें तीन महीने के भीतर "शीघ्र" पूरा करने का आदेश दिया है।

• **सेबी नियमों की चुनौतियों को खारिज किया गया:** न्यायालय को विदेशी निवेशकों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के संबंध में नियामक संशोधनों में कोई खामी नहीं मिली।

न्यायालय का तर्क:

• **सीमित न्यायिक हस्तक्षेप:** न्यायालय ने सेबी की विशेषज्ञता के प्रति सम्मान व्यक्त किया और इसकी नियामक नीतियों को खत्म करने से परहेज किया।

• **सेबी की प्रगति में विश्वास:** न्यायालय ने सेबी की जांच को "व्यापक" और "प्रेरणादायक विश्वास" माना।

• **सार्वजनिक हित पर ध्यान:** न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं की मांगों पर बड़े निवेशक समुदाय की सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

चिंताएँ और आलोचना:

• **अनुत्तरित प्रश्न:** न्यायालय ने न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने से परहेज किया, जिसमें शेयरधारिता और लेनदेन से संबंधित संभावित उल्लंघन भी शामिल थे।

• **विवरण का अभाव:** न्यायालय ने सेबी के निष्कर्षों या चल रही जांच में प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, जिससे निवेशक अंधेरे में रह गए।

• **प्रवर्तन में ढिलाई:** आलोचकों को डर है कि धीमी प्रवर्तन के सेबी के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से गहन जांच में बाधा आ सकती है।

• **न्यायिक निष्क्रियता की उपस्थिति:** सख्त समय सीमा या निरीक्षण के बिना सेबी पर न्यायालय की निर्भरता जांच में जनता के विश्वास को कम कर सकती है।

कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेबी को अडानी समूह के आरोपों की जांच को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी देता है। हालांकि नियामक स्वायत्तता के लिए न्यायालय का सम्मान समझ में आता है, लेकिन पारदर्शिता की कमी और निर्णायक नतीजे तक पहुंचने में देरी की संभावना को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।

क्या उच्च शिक्षा नौकरी बाजार में कौशल आवश्यकताओं के संपर्क से बाहर है?

भारत का स्नातक रोज़गार संकट: एक गहरा समाधान

स्नातक होने और एक पुरस्कृत करियर में निर्बाध रूप से परिवर्तन करने की धारणा युवा भारतीयों के लिए तेजी से अनिश्चित होती जा रही है। एक कठोर आँकड़ा इस कठोर वास्तविकता को रेखांकित करता है: भारत के आधे से भी कम स्नातकों ने 2021 में सार्थक रोजगार हासिल किया, जो कई अन्य विकासशील देशों की तुलना में एक निराशाजनक आंकड़ा है। यह खतरनाक रोजगार संकट संरचनात्मक शैक्षिक खामियों, महामारी के दौरान ऑनलाइन सीखने के लंबे समय तक रहने वाले नतीजे, पर्याप्त नौकरियां पैदा करने के लिए संघर्ष कर रही अर्थव्यवस्था और महिला स्नातकों को असमान रूप से प्रभावित करने वाली सामाजिक बाधाओं के धागों से बुनी गई एक बहुआयामी पहेली है।

शैक्षिक भवन में संरचनात्मक दरारें:

भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों का तेजी से विस्तार, पहुंच का लोकतंत्रीकरण करते हुए, गुणवत्ता की कीमत पर हुआ है। कई विश्वविद्यालय, विशेषकर निजी विश्वविद्यालय, परीक्षा-केंद्रित हो गए हैं फ़ैक्टरियाँ सैद्धांतिक ज्ञान वाले स्नातक तो निकाल रही हैं लेकिन उनमें व्यावहारिक कौशल और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं का अभाव है। सिखाए गए कौशल और नौकरी बाजार द्वारा मांग किए गए कौशल के बीच यह अंतर स्नातकों को पेशेवर परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए अयोग्य बना देता है।

ऑनलाइन शिक्षण की छाया:

महामारी ने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन कक्षाओं की ओर पलायन को मजबूर किया, लेकिन यह संक्रमण हताहतों के बिना नहीं था। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट संसाधनों तक असमान पहुंच ने एक डिजिटल विभाजन पैदा कर दिया, जिससे मौजूदा असमानताएं बढ़ गईं और कई छात्रों के लिए सीखने में बाधा उत्पन्न हुई। आभासी वातावरण अक्सर जुड़ाव में बाधा डालता है, जिससे ज्ञान में कमी आती है और कौशल अविकसित होता है। इसके अतिरिक्त, व्यावहारिक प्रशिक्षण और व्यावहारिक सीखने के अवसरों की कमी ने व्यावहारिक क्षेत्रों में रोजगार चाहने वाले स्नातकों को और अधिक वंचित कर दिया।

रोजगार बाज़ार पिछड़ रहा है:

भारतीय अर्थव्यवस्था, प्रभावशाली विकास दर के बावजूद, पर्याप्त नौकरियाँ पैदा करने के लिए संघर्ष कर रही है, विशेष रूप से उच्च-कुशल क्षेत्रों में जो शिक्षित स्नातकों की आकांक्षाओं से मेल खाती हैं। स्नातक कौशल और उपलब्ध नौकरियों के बीच यह बेमेल कई लोगों को बेरोजगार बना देता है, उन्हें अपनी योग्यता से नीचे की नौकरियां स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, या इससे भी बदतर, वे बेरोजगार हो जाते हैं। अनुसंधान और विकास में कम निवेश, नवाचार और ज्ञान-आधारित नौकरियों के सृजन में बाधा के कारण स्थिति और भी जटिल हो गई है।

लैंगिक असमानता: एक दोहरा ख़तरा:

हालाँकि भारत में महिला स्नातकों का अनुपात पहले से कहीं अधिक है, लेकिन कार्यबल में उनकी भागीदारी निराशाजनक रूप से कम है। सामाजिक अपेक्षाएँ और अंतर्निहित सांस्कृतिक पूर्वाग्रह अक्सर महिलाओं को करियर बनाने से हतोत्साहित करते हैं, और जो ऐसा करते हैं उन्हें भी अतिरिक्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है। किफायती बाल देखभाल की कमी, सीमित लचीली कार्य व्यवस्था और भेदभावपूर्ण कार्यस्थल प्रथाएं इस लिंग अंतर में योगदान करती हैं, जो अंततः आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति में बाधा डालती हैं।

एनईपी: आशा की किरण, त्रुटिपूर्ण फिर भी आशाजनक:

2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) इन चुनौतियों से निपटने के एक साहसिक प्रयास का प्रतिनिधित्व करती है। पारंपरिक शिक्षाविदों के साथ कौशल विकास को एकीकृत करने, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने और समावेशिता को बढ़ावा देने की इसकी दृष्टि में अपार संभावनाएं हैं। हालाँकि, प्रवेश परीक्षाओं और विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को लेकर विसंगतियों और विवादों के साथ इसका कार्यान्वयन असमान रहा है। इसके अलावा, एनईपी में हाशिए पर रहने वाले समूहों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए ठोस उपायों का अभाव है, जिससे इसका संभावित प्रभाव सीमित हो गया है।

आगे का रास्ता तय करना:

इस संकट का डटकर मुकाबला करने के लिए भारत को बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को मजबूत करना और निकट सहयोग के माध्यम से कक्षा में सीखने और उद्योग की जरूरतों के बीच अंतर को पाटना महत्वपूर्ण कदम हैं। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण को प्राथमिकता देना, संकाय विकास में निवेश करना और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना भविष्य-प्रूफ शिक्षा प्रणाली बनाने के लिए आवश्यक है। इसके अलावा, सामाजिक बाधाओं को दूर करना और कार्यस्थल में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाले नीतिगत उपायों को लागू करना महिला स्नातकों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए आवश्यक है।

अंततः, भारत के स्नातक रोजगार संकट को संबोधित करना न केवल एक आर्थिक अनिवार्यता है, बल्कि एक सामाजिक और नैतिक भी है। एक ऐसी प्रणाली बनाकर जो अपने युवाओं को आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल और अवसरों से लैस करे, भारत अपनी वास्तविक क्षमता को उजागर कर सकता है और ज्ञान अर्थव्यवस्था में वैश्विक नेता बन सकता है। हालाँकि, यह यात्रा नीति निर्माताओं, शिक्षकों, उद्योग जगत के नेताओं और समग्र रूप से समाज से सामूहिक प्रयास की मांग करती है। तभी भारत के स्नातकों के लिए उज्ज्वल भविष्य का वादा साकार हो सकता है।

भारत में नागरिक घेरे में है

यह लेख भारत में सिकुड़ते नागरिक स्थान की चिंताजनक तस्वीर पेश करता है, खासकर सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने वाले और अल्पसंख्यक अधिकारों, दलित अधिकारों, आदिवासी अधिकारों और आर्थिक न्याय की वकालत करने वाले संगठनों के लिए। लेखक का तर्क है कि भारतीय राज्य जानबूझकर विभिन्न उपकरणों के माध्यम से इन संगठनों को लक्षित कर रहा है, प्रभावी ढंग से असहमति को दबा रहा है और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर कर रहा है।

मुख्य निष्कर्ष:

• **साम्प्रदायिक विरोधी संगठनों पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है:** सक्रिय रूप से हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ लड़ने वाले और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने वाले संगठनों को राज्य के सबसे गंभीर हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वित्तीय प्रतिबंध से लेकर नेताओं की कारावास तक शामिल है। उदाहरणों में सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (सीजेपी), एमनेस्टी इंडिया और ऑक्सफैम शामिल हैं।

• **विभिन्न संगठनों पर मध्यम हमले:** यहां तक कि ऐसे संगठनों को भी नहीं बख्शा जाता है जो सांप्रदायिकता-विरोधी कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल नहीं हैं, लेकिन अन्य मानवाधिकार मुद्दों पर काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) और गैर-सांप्रदायिक क्षेत्र में काम करने वाले एक अनाम अमेरिकी-वित्त पोषित एनजीओ को अपनी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण अंकुश का सामना करना पड़ा है।

• **तटस्थ संगठनों पर निम्न-स्तरीय हमले**: नवसर्जन (दलित अधिकार) और सेव द चिल्ड्रेन (बाल अधिकार) जैसे सांप्रदायिक विरोधी मुद्दों में शामिल नहीं होने वाले संगठन भी प्रभावित हुए हैं, भले ही कुछ हद तक।

• **ग्रीनपीस**: बदलते फोकस का एक केस अध्ययन: एक समय उच्च तीव्रता वाले हमलों का सामना करने वाले ग्रीनपीस ने अब आगे की जांच से बचने के लिए पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों की चिंताओं पर अधिक उदासीन रुख अपनाया है।

असहमति को दबाने के लिए प्रयुक्त उपकरण:

• **दंडात्मक परिणाम:** मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम के तहत जांच का उपयोग लक्षित संगठनों से जुड़े व्यक्तियों को डराने और संभावित रूप से जेल में डालने के लिए किया जाता है।

• **विदेशी फंडिंग प्रतिबंध:** एफसीआरए को सख्त बना दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2015 और 2022 के बीच लगभग 18,000 एनजीओ को विदेशी फंड देने से इनकार कर दिया गया है। एक पूर्व संदर्भ श्रेणी सूची अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं को भारत में मानवाधिकारों के समर्थन से हतोत्साहित करती है।

• **घरेलू फंडिंग बाधाएं:** 12ए और 80जी प्रमाणपत्रों का अनिवार्य नवीनीकरण और दाता की जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकताएं गैर-सांप्रदायिक और सांप्रदायिक विरोधी गैर सरकारी संगठनों को घरेलू दान को हतोत्साहित करती हैं।

• **केंद्रीकृत नियंत्रण:** सत्तारूढ़ दल के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण नागरिक समाज संगठनों की गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण की अनुमति देता है।

प्रीलिम्स बूस्टर

इसरो कल आदित्य एल1 को एल1 कक्षा में बांधने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया करेगा

आदित्य-एल1 सैटेलाइट मिशन:
- समर्पित मिशन का उद्देश्य सात अलग-अलग पेलोड के साथ सूर्य का व्यापक अध्ययन करना है, पांच इसरो द्वारा विकसित और दो इसरो के सहयोग से भारतीय शैक्षणिक संस्थानों द्वारा विकसित किए गए हैं।

लॉन्च और यात्रा:
- 2 सितंबर, 2023 को प्रक्षेपण के लिए निर्धारित, एल1 लैग्रेंज बिंदु की 110-दिवसीय यात्रा शुरू करने से पहले 16 दिनों के लिए पृथ्वी-बाउंड कक्षाओं में युद्धाभ्यास।

रणनीतिक स्थिति:
- पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर स्थित, रणनीतिक रूप से सूर्य पर केंद्रित, सूर्य के बाहरी वातावरण का निर्बाध अध्ययन सुनिश्चित करता है।

गुरुत्वाकर्षण स्थिरता:
- L1 के चारों ओर एक अनियमित कक्षा में स्थापित, बिंदु की गुरुत्वाकर्षण स्थिरता से लाभ, बार-बार कक्षीय समायोजन की आवश्यकता को कम करना और परिचालन दक्षता को अनुकूलित करना।

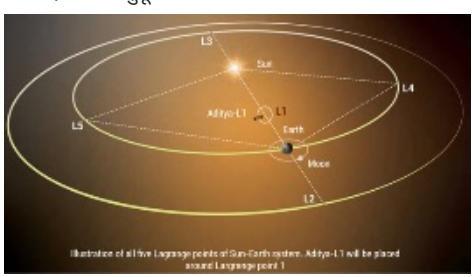

Illustration of all five Lagrange points of Sun-Earth system. Aditya-L1 will be placed around Lagrange point 1

लैग्रेंज पॉइंट्स:
- अंतरिक्ष में विशिष्ट स्थिति जहां दो खगोलीय पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़े हुए आकर्षण और प्रतिकर्षण के क्षेत्र बनाते हैं, जिससे छोटी वस्तुएं दो बड़े द्रव्यमानों के सापेक्ष स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम होती हैं।

एल1, एल2, और एल3:
- दो बड़े पिंडों को जोड़ने वाली रेखा के साथ स्थित, जिसे अस्थिर माना जाता है, जहां दो पिंडों से गुरुत्वाकर्षण खिंचाव एक छोटी वस्तु को उनके साथ परिक्रमा करने के लिए आवश्यक सेंट्रिपेटल बल को संतुलित करता है।

L4 और L5:
- दो समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष पर बड़े द्रव्यमान के साथ स्थित, स्थिर लैग्रेंज बिंदु जो अंतरिक्ष यान को कम ईंधन खपत के साथ अंतरिक्ष में स्थिति बनाए रखने की अनुमति देते हैं।

अंतरिक्ष यान उपयोग:
- अंतरिक्ष यान दो विशाल पिंडों के संबंध में अपेक्षाकृत स्थिर रहने के लिए इन लैग्रेंज बिंदुओं का उपयोग कर सकता है, जिससे अंतरिक्ष में कुशल स्थिति को सक्षम किया जा सकता है।